

समेतिक शिक्षा की आज की प्रमुख बाधाएँ और आवश्यकता

पुष्पेंद्र मीणा¹ डॉ. पूनम लता मिश्रा²

¹शोधार्थी ²शोध पर्यवेक्षक

विभाग:- शिक्षा शास्त्र

ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल

सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

ईमेल आईडी:- Pushpendermina0987@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारत में समेतिक शिक्षा की आवश्यकता की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ इसकी मुख्य बाधाओं का आकलन करना है। आजादी के 70 साल बाद भी विकलांग बच्चों को विकास की मुख्यधारा से बाहर रखा जाता है। सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जा रहे कई प्रयासों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। आज भी, विशेष आवश्यकता वाले अधिकांश बच्चे समग्र रूप से समाज में एकीकृत होने में असमर्थ हैं। विकास के प्राथमिक निर्धारकों में से एक के रूप में शिक्षा के महत्व को देखते हुए, विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए। प्रदान किए गए अध्ययन पत्र में समेतिक शिक्षा के महत्व और इसकी कठिनाइयों को तथ्यात्मक और सांख्यिकीय रूप से संबोधित किया गया है। इसमें अशिक्षा से उत्पन्न सामाजिक विकृतियों और असमानताओं को रोकने के साथ-साथ समेतिक शिक्षा पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही, स्कूल और समाज में लोगों को विकलांग बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए ताकि वे खुद को समाज के कटे हुए हिस्से के रूप में न देखें, बल्कि समाज के सदस्य के रूप में देखें। प्रस्तुत शोध पत्र यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि हाशिए पर रहने वाले विशेष बच्चों की शिक्षा के संबंध में डेटा एकत्र करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी है ताकि उन्हें समेतिक शिक्षा में शामिल करके देश और समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके। ऐसा विभिन्न शोध अध्ययनों, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों का हवाला देकर किया जाता है।

प्रमुख प्रत्यय/शब्दावली: समेतिक शिक्षा, साक्षरता दर, विकलांगता, समेतिक शिक्षा की आवश्यकता, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना:

किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं में सुधार शिक्षा का एक लक्ष्य है। जीवन में शिक्षा के महत्व पर इतनी बार जोर दिया गया है कि यह दावा किया गया है कि "ज्ञान और शिक्षा के बिना, मनुष्य एक जानवर के समान है।" 2010 (निरुपमा)। सामान्य शिक्षा के साथ-साथ अब समेतिक शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। समेतिक शिक्षा के रूप में जानी जाने वाली एक शिक्षण पद्धति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य छात्रों के साथ नियमित कक्षाओं में सीखने और आत्मनिर्भरता विकसित करने का मौका देती है ताकि वे समान स्तर पर समाज में एकीकृत हो सकें। इसके अंतर्गत स्कूलों में पढ़ाने के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण भी शामिल है। शिक्षा के इस अत्याधुनिक दृष्टिकोण से हाशिये पर रहने वाले छात्रों को लाभ मिलता है, जिन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत से लेकर अपनी पढ़ाई के अंत तक अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। असाधारण आवश्यकताओं वाले बच्चों में आमतौर पर बहरापन, मानसिक मंदता, दृष्टि, श्रवण और सीखने की हानि होती है। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ घुलने-मिलने में बेहद कठिनाई होती है। ये बच्चे समाज से अलग-थलग महसूस करते हैं क्योंकि उनके माता-पिता या अभिभावकों का रवैया भी उनके प्रति नकारात्मक होता है। इस प्रकार उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है। समाज के पांच से दस प्रतिशत युवा इस विवरण में फिट बैठते हैं। इस वजह से ऐसे बच्चों को स्कूल में शामिल करना महत्वपूर्ण है। (संजीव, 2008)।

वे सभी तथ्य समेतिक शिक्षा में शामिल हैं, जिसका उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ किया जाता है। विशेष रूप से, समेतिक शिक्षा का उपयोग उन बच्चों के साथ किया जाता है जिनके पास विभिन्न शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली और अद्वितीय क्षमताएं होती हैं। ऐसी प्रणाली के तहत प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा की गारंटी दी जाती है, और छात्र की क्षमता, शारीरिक दुर्बलता, भाषा, संस्कृति या पारिवारिक इतिहास के कारण इस शिक्षा के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। 2016 (भार्गव)। इस प्रकार की शैक्षिक सुविधाओं का उपयोग ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कुछ स्थापित देशों में आवासीय विद्यालयों के रूप में किया जा रहा है, हालाँकि हमारे अपने देश भारत में विकासशील दुनिया में होने के बावजूद इसका अभाव है।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 1990 के दशक के मध्य से, जब यूनेस्को ने 1994 में सलामांका (स्पेन) में विशेष आवश्यकता शिक्षा पहुंच और समानता (विशेष आवश्यकता शिक्षा पहुंच और गुणवत्ता) पर एक विशेष विश्व सम्मेलन आयोजित किया, तो समेतिक वाक्यांश का उपयोग बढ़ गया है। इस बैठक में 92 राज्यों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। बैठक के अंत में कहा गया कि "प्रत्येक बच्चे में अद्वितीय विशेषताएं, रुचियां, क्षमताएं और सीखने की ज़रूरतें होती हैं।" परिणामस्वरूप, शिक्षा प्रणाली को इन

विशिष्टताओं और मांगों की विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करना होगा। सलामांका वक्तव्य के अनुसार, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है और उसे सीखने का उचित स्तर प्राप्त करने और बनाए रखने का मौका दिया जाना चाहिए। एजुकेशन फोरम द्वारा शिक्षा में समावेशिता की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। डकार सम्मेलन ने कहा, "किसी भी व्यक्ति या बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के अवसर से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह उसकी क्षमता से परे है।" - वर्ष 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की रणनीतियों में वंचित समूहों, शहरी आबादी और उन व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास स्कूल तक पहुंच नहीं है (यूनेस्को 2000)। इन वैश्विक विकास पहलों ने एक ऐसे परिदृश्य को जन्म दिया है जहां कोई भी राष्ट्र " समेतिक शिक्षा" को प्राथमिकता दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है।

नीति और व्यवहार दोनों स्तरों पर, समेतिक शिक्षा शिक्षा के बारे में हमारे सोचने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। शिक्षार्थियों के सीखने की विविधता को पहचानने, अपनाने और उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रणाली के मूल में रखा जाता है। चूंकि समेतिक शिक्षा की आवश्यकता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर है, इसलिए इसे नीतिगत स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लक्षित किया जाना चाहिए और व्यवहार में लाया जाना चाहिए। समेतिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य संपूर्ण-स्कूल दृष्टिकोण प्रदान करना, मुख्यधारा की सेटिंग में सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और स्कूलों को अधिक स्वागतयोग्य बनाने के लिए आवश्यक समायोजन लागू करना है। समेतिक शिक्षा में सभी छात्रों की शिक्षा के लिए स्कूलों को दी जाने वाली सामान्य धनराशि, साथ ही शिक्षार्थी की विफलता के मामले में स्कूलों की सहायता के लिए पूरक धनराशि शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह गारंटी देनी होगी कि उन लोगों के लिए अधिक धन उपलब्ध है जिन्हें अधिक गहन सहायता की आवश्यकता है। एक समेतिक शैक्षिक प्रणाली का अंतिम लक्ष्य सभी छात्रों को - उम्र की परवाह किए बिना - अपने स्थानीय समुदाय में अपने साथियों के साथ बातचीत करने के सार्थक, उत्कृष्ट अवसर प्रदान करना है।

संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में काम करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और एजेंसियां विकलांग छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों में सुधार करने का प्रयास कर रही हैं। आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और अन्य संगठन इस श्रेणी में आते हैं। ये सभी संगठन कई अंतरराष्ट्रीय मानक उपकरणों, पहलों और गतिविधियों पर सहयोग करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में इन सभी संगठनों की गतिविधियों का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त सभी के लिए आजीवन सीखने की संभावनाओं को प्रोत्साहित करना और समेतिक और

समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की गारंटी देना (यूएन 2015)। ये सभी संगठन समावेशन के लिए एक व्यापक रणनीति का उपयोग करते हैं, विकलांग लोगों, अल्पसंख्यकों के सदस्यों, स्वदेशी लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए असमानताओं को कम करने पर विशेष ध्यान देते हैं (माइजर, 2001)। समेतिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनेक अध्ययनों ने इसका समर्थन किया है। ' समेतिक शिक्षा और प्रभावी कक्षा अभ्यास' 2001 में विशेष आवश्यकता शिक्षा में विकास के लिए यूरोपीय एजेंसी द्वारा जारी एक अध्ययन पत्र का शीर्षक था। इसमें विभिन्न देशों से समेतिक शिक्षा पर अध्ययन शामिल था। मार्टसन और मैग्नसन (1991) के अनुसार, जो "सहकारी शिक्षण परियोजना" पर काम कर रहे थे, शैक्षणिक रूप से असफल छात्रों को एक ही कक्षा के साथ-साथ सप्ताह में कुछ बार अतिरिक्त मदद देने से उन्हें अपने ग्रेड में सुधार करने में मदद मिल सकती है। सफलता पर सामान्य बच्चों की तरह ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। "क्लास वाइज पीयर ट्यूटोरिंग" पर "नार्सिसिस्टिक और नॉन-नार्सिसिस्टिक" छात्रों के साथ एक अध्ययन में, काम्प्स, बारबेट, लियोनार्ड और डेलक्वाड्री (1994) निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे: "वे छात्र जो पहले कम सामाजिक थे, सी.डब्ल्यू.पी.टी. फस, मैथ्स और सिमंस (1997) के उपयोग के बाद अत्यधिक सामाजिक हो गए, जिन्होंने "पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटेजी" की प्रभावशीलता दिखाई।

विकलांग और गैर-विकलांग दोनों छात्रों ने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया और स्टीवन और स्लेविन (1994) के "सहकारी शिक्षण दृष्टिकोण" के हिस्से के रूप में अन्य सहपाठियों के साथ कथा को ज़ोर से पढ़ा। गया। निष्कर्ष में, यह पता चला कि सह-शिक्षण रणनीति विकलांग छात्रों और गैर-विकलांग छात्रों दोनों के लिए पढ़ने की समझ में सुधार करने में सहायता करती है। इवांस और स्लेविन (1997) के अनुसार, 'सहयोगात्मक समस्या समाधान' (सीपीएस) को विकलांग और गैर-विकलांग विद्यार्थियों दोनों के सामाजिक आचरण में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। शारीरिक, सामाजिक और शैक्षिक चुनौतियों वाले छात्रों को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में अत्यधिक मिलनसार आचरण अपनाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में दस साल के अध्ययन के बाद, एरेना मोजर और उनके सहयोगियों ने पाया कि सहकारी शिक्षा, जो विशेष रूप से विकासशील साधियों के साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को जोड़ती है, समेतिक शिक्षा के लिए अधिक प्रभावी है। "दक्षिण अफ्रीका में समेतिक शिक्षा को साकार करने की चुनौतियाँ" पर अपने पेपर के लिए शोध करने के बाद, बोथ्यू और बोमन (2014) ने कहा कि "सभी के लिए शिक्षा" (सभी के लिए शिक्षा) लंबे समय से चली आ रही है। विकलांग विद्यार्थियों को स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद भी सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाए जाने की संभावना कम होती है। दक्षिण अफ्रीका में विकलांग बच्चों के लिए, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और समेतिक शिक्षा में कई बाधाएँ हैं। परिणामस्वरूप, जितनी जल्दी विकलांग छात्रों को समेतिक कार्यक्रमों में

नामांकित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी वे सकारात्मक तरीके से समाज में योगदान दे सकेंगे। मिल्स और निधि (2008) के शोध विषय, "सभी के लिए शिक्षा और समेतिक शिक्षा बहस" के अनुसार, समेतिक शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों, समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित मूल्यों और मान्यताओं को प्राप्त करना है ताकि सभी बच्चे शिक्षा में भाग ले सकें। : अवसर के संघर्ष विरोधाभास।" समेतिक शिक्षा के माध्यम से समाज को अपनी सामाजिक संस्थाओं और प्रणालियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

समेतिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट:

सार्जेंट रिपोर्ट (1944)- जहां भी संभव हो, विकलांग बच्चों को आम तौर पर विकासशील बच्चों से अलग नहीं किया जाना चाहिए; इसके बजाय, उन्हें नियमित कक्षाओं में विशेष शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कोठारी आयोग (भारत का प्राथमिक शिक्षा आयोग) के अनुसार, विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य उसे सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में समायोजन के लिए तैयार करना है। परिणामस्वरूप, यह आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक मूलभूत घटक हो, एकमात्र अंतर बच्चे को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दृष्टिकोण और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में है।

भारत सरकार ने 1974 में "विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा" कार्यक्रम शुरू किया। आधिकारिक तौर पर समर्थित इस कार्यक्रम के तहत विकलांग बच्चों को उनके साथियों के साथ सामान्य कक्षाओं में शिक्षा दी जाती थी, जिनमें कोई विकलांगता नहीं थी। इसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम (1995) के अध्याय 5 की धारा 26 के तहत विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी जाती है। सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को यह गारंटी देनी चाहिए कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को अठारह वर्ष की आयु तक उपयुक्त सेटिंग में मुफ्त शिक्षा मिले। सरकार विकलांग बच्चों को सामान्य शिक्षा सेटिंग्स में एकीकृत करने, उनका समर्थन करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण संसाधनों के साथ विशेष स्कूल प्रदान करने का प्रयास करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित लक्ष्य के अनुसार, 2020 तक देश के सभी स्कूल विकलांग लोगों के लिए सुलभ होने चाहिए। (संजीव, 2008)।

विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जनसंख्या एवं शैक्षिक आँकड़े:

तालिका संख्या-1 समस्त जनसंख्या एवं विकलांग जनसंख्या की तुलना: (करोड़ में)

समस्त जनसंख्या, भारत- 2011			विकलांग जनसंख्या, भारत- 2011		
व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
120.09	60.37	48.75	3.58	1.05	1.10

तलिका संख्या-1 के 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में से विकलांगों की जनसंख्या 2.68 करोड़ (2.21 प्रतिशत) है। जिसमें पुरुष विकलांगों की संख्या 1.5 करोड़ तथा महिला विकलांगों की संख्या 1.18 करोड़ है। अतः इससे यह पता चलता है कि भारत में विकलांगों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास कर रही है।

तलिका संख्या-2 शिक्षित एवं अशिक्षित विकलांगों की संख्या

	कुल विकलांग जनसंख्या	शिक्षित	अशिक्षित	विकलांग जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत	समस्त जनसंख्या की साक्षरता प्रतिशत
भारत	26814984	14617353	12197641	54.42	75.04

तालिका संख्या- 2 के आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में जहाँ कुल शिक्षित विकलांग विद्यार्थियों की संख्या 14617353 है वही अशिक्षित विकलांगों की संख्या 12197641 है, अर्थात् केवल 54.52 प्रतिशत ही विकलांग विद्यार्थी शिक्षित हैं, जबकि आज भी अशिक्षित विकलांगों की संख्या 45 प्रतिशत से अधिक हैं। अतः अशिक्षित विकलांगों को समेतिक शिक्षा में सम्मिलित करके विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

तलिका संख्या- 3 विकलांगता की प्रकृति के आधार पर विकलांग जनसंख्या प्रतिशत (2015-16)

विकलांगता की प्रकृति	अंधे	कम दृष्टि	श्रवण बाधित	वाक् बाधित	चलन बाधित	मानसिक बाधित	अधिगम अक्षमता	मस्तिष्क पक्षाघात	आत्मकेंद्रित	बहुविकलांगता
----------------------	------	-----------	-------------	------------	-----------	--------------	---------------	-------------------	--------------	--------------

प्रतिशत	2.78	16.84	10.54	9.97	17.10	22.01	11.44	2.55	0.93	5.85
---------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	------

र्ष 2015-16 के नवीनतम आंकड़ों से यह पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों में सबसे अधिक मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थी पाए जाते हैं, जिनका प्रतिशत 22.01 है और सबसे कम आत्म-केन्द्रित प्रकार के विकलांग छात्र पाए जाते हैं जिनका प्रतिशत 1 से भी कम है। इससे यह पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों में अत्यधिक अंतर है, और उन पर उनकी विकलांगता प्रकार के अनुसार ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

तलिका संख्या- 4 विकलांगों की साक्षरता स्थिति: लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर (आकड़े, 2011)

	शिक्षित	अशिक्षित		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
व्यक्ति	48	67	52	33
पुरुष	58	72	42	28
महिला	37	61	63	39

तालिका संख्या 4 में 2011 के जनसांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 58 प्रतिशत विकलांग लोग साक्षर हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 72 प्रतिशत विकलांग पुरुष साक्षर हैं। साक्षरता के मामले में, शहरी विकलांग महिलाएं 61% की दर से शिक्षित होती हैं, जबकि ग्रामीण विकलांग महिलाएं केवल 37% की दर से शिक्षित होती हैं। निरक्षर विकलांग पुरुषों की तुलना में, ग्रामीण विकलांग पुरुषों में निरक्षरता दर 42% है जबकि शहरी विकलांग पुरुषों में निरक्षरता दर 28% है। अशिक्षित विकलांग महिलाओं की तुलना में 39 प्रतिशत शहरी और 63 प्रतिशत ग्रामीण विकलांग महिलाएं निरक्षर हैं।

उपरोक्त आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण, अशिक्षित, विकलांग पुरुषों और महिलाओं की समेतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

तालिका संख्या- 5 विकलांग व्यक्तियों का शैक्षिक स्तर

		कुल विकलांग जनसंख्या		
	शैक्षिक स्तर	कुल	पुरुष	महिला
भारत	कुल	26814994	14988593	11826401
	अशिक्षित	12196641	5640240	6556401
	शिक्षित	14618353	9348353	5270000
	साक्षर लेकिन प्राथमिक से कम	2840345	1706441	1133904
	प्राथमिक लेकिन माध्यमिक से कम	3554858	2195933	1358925
	माध्यमिक लेकिन मैट्रिक से कम	2448070	1616539	831531
	मैट्रिक लेकिन स्नातक से कम	344865	2330080	1118570
	स्नातक एवं उससे अधिक	1246857	839702	407155

तालिका संख्या-5 के आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुल 26814994 विकलांग विद्यार्थियों में से 146118353 शिक्षित हैं जबकि 12196641 अशिक्षित हैं। यदि विकलांग लड़कों की बात की जाये तो 9348353 शिक्षित हैं जबकि 5640240 अशिक्षित है। विकलांग लड़कियों की साक्षरता की बात की जाये तो 5270000 शिक्षित हैं तथा 6556401 अशिक्षित हैं। इसके अलावा विभिन्न स्तर पर भी विकलांग लड़के एवं लड़कियों की साक्षरता स्तर को दर्शाया गया है।

समेतिक शिक्षा की आवश्यकता:

विकलांग बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में कमजोर और हीन महसूस करते हैं, जिसके कारण उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। समेतिक शिक्षा प्रणाली विकलांग छात्रों को आम तौर पर विकासशील छात्रों के साथ-साथ बौद्धिक विकास करने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी छात्र किसी भी तरह से अन्य छात्रों से कमतर महसूस न करे। समेतिक शिक्षा प्रणाली इस प्रकार बच्चों के समग्र मानसिक विकास में मदद करती है।

विकलांग बच्चे अक्सर कुछ सामाजिक लक्षण साझा करते प्रतीत होते हैं। जब वे अन्य बच्चों के साथ स्कूल जाते हैं तो वे अन्य बच्चों के साथ सामाजिक कौशल सीखते हैं। वे दूसरों के साथ बातचीत करने की क्षमता और अपने नैतिक और नैतिक मूल्यों के मामले में विकसित होते हैं। विशिष्ट शिक्षा निस्संदेह अधिक महंगी और समय लेने वाली है, और विशिष्ट प्रशिक्षकों और शैक्षिक विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई अपवाद नहीं हैं। इसके विपरीत, समेतिक शिक्षा कम खर्चीली और लाभप्रद दोनों है। सहायता के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों की भी तलाश की जानी चाहिए, जैसे योग्य प्रोफेसर, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि। एक विकलांग बच्चे की नियमित कक्षा में शिक्षा कम खर्चीली होती है।

समेतिक शिक्षा प्रणाली विशेष शिक्षा प्रणाली की तुलना में छात्रों को अधिक बार सामाजिक संवाद में संलग्न करती है। नियमित स्कूली शिक्षा से सामान्य एवं विकलांग दोनों प्रकार के बच्चों में प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है। इस सेटिंग में, अपने साथियों से सीखने, स्वागत महसूस करने और दूसरों द्वारा स्वीकार्य महसूस करने का एकमात्र तरीका समेतिक शिक्षा है। शिक्षार्थी को एक विशिष्ट सेटिंग में उपयुक्तता और भावनात्मक नियंत्रण के बारे में जागरूकता प्राप्त होती है। एक समेतिक शिक्षण वातावरण अक्सर छात्रों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करना संभव बनाता है। एक अर्थ में, शैक्षिक एकीकरण समेतिक शिक्षा, अनुकूलनीय वातावरण और अत्याधुनिक पाठ्यक्रम के माध्यम से लाया जाता है। भारत में सामान्य शिक्षा के व्यापक पैमाने पर विकास और शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए संपूर्ण प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान प्रदान किया गया है। ताकि कोई भी छात्र दूसरों से हीन महसूस न करे, समानता के लक्ष्य को समेतिक शैक्षणिक माहौल के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। उपरोक्त जानकारी को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि आधुनिक दुनिया में सभी बच्चों को समेतिक शिक्षा की आवश्यकता है।

समेतिक शिक्षा में प्रमुख बाधाएँ:

किसी बच्चे को शिक्षित करने से पहले उसके व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है; यह समेतिक शिक्षा वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से सच है, जिनके लक्षण अक्सर सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक तीव्र और अजीब होते हैं। कुछ देशों में, प्रशिक्षक और बच्चे दोनों उच्च कक्षा के आकार और कम छात्र-शिक्षक अनुपात के साथ संघर्ष करते हैं, और कक्षा में बहुत अधिक विविधता शिक्षकों के उत्साह को कम कर सकती है। यह कम से कम 100 विद्यार्थियों वाली कक्षाओं के लिए विशेष रूप से सच प्रतीत होता है। समेतिक शिक्षा के लिए यह एक समस्या बन जाती है जब कुछ निर्दयी प्रशिक्षक हताशा के कारण अप्रासंगिक शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हैं। कभी-कभी विद्यार्थियों को उनकी संभावित क्षमता से कम अध्ययन करने की अनुमति देने से "सीखने में रुकावट" आती है। सबसे खराब स्थिति तब होती है जब प्रशिक्षक अपने विद्यार्थियों को अनुशासित करते हैं। ऐसे आचरण के परिणामस्वरूप विकलांग बच्चे हाशिए पर जा सकते हैं। देश की शैक्षिक प्रणाली शिक्षा मंत्रालय के दायरे में है, और इसका संरचनात्मक परिवर्तन, वित्तपोषण और शिक्षक भर्ती के अभियान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उपयुक्त परिवहन की कमी, चुनौतीपूर्ण इलाके, अपर्याप्त सड़कें और परिवारों के लिए खर्च के कारण विकलांग लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में चुनौतियाँ आती हैं। यदि किसी लड़की के माता-पिता स्कूल आते-जाते समय उसकी सुरक्षा की चिंता से उसे घर पर रहने के लिए मजबूर करते हैं, तो उसे स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहां तक कि अपने माता-पिता और छोटे भाई-बहनों की देखभाल करना भी कुछ छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। एक और महत्वपूर्ण बाधा यह है कि विकलांग छात्रों को अपने स्कूलों में शौचालय तक पहुंच नहीं हो सकती है। यदि कोई युवा प्रतिदिन शौचालय का उपयोग नहीं कर सकता है तो उसके स्कूल जाने की संभावना कम होती है। शौचालयों को रखा जाना चाहिए, भले ही उन्हें अधिक सुलभ बनाने के लिए संशोधित किया गया हो। कुछ स्थितियों में, स्कूलों में सुलभ शौचालयों की कमी का उपयोग विकलांग छात्रों को बाहर करने के स्पष्टीकरण के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उनका दावा है कि बच्चों को शौचालय तक ले जाने के लिए कोई सहायक कर्मी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, पानी और स्वच्छता के मुद्दों को समेतिक शिक्षा में शामिल किया जा सकता है।

सुझाव:

1. इन बालकों के माता-पिता व शिक्षक उनकी समस्याओं को इस रूप में समझे कि वे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के समान आदर, सम्मान, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता है।

2. समेतिक बालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी एवं समझ, शिक्षकों के लिए समेतिक बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल बना देगी।
3. समेतिक बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम पढ़ने, लिखने और साधारण गणित का ज्ञान हो जाए।
4. आधुनिक शैक्षिक तकनीकों ने ऐसी विधियों, तकनीकों एवं उपकरणों का आविष्कार किया है जिनकी सहायता से विकलांग बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जा सकती है। अतः विकलांग बालकों के लिए उचित शैक्षिक तकनीकों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. समेतिक बालकों के शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए।
6. स्कूल में अति समेतिक वातावरण की नहीं बल्कि समेतिक प्रशिक्षित शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। अतः इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

दुनिया के सभी देश अब अपनी भावी पीढ़ियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आबादी के विभिन्न हिस्सों के स्वस्थ विकास के लिए विशिष्ट शैक्षिक और आर्थिक प्रणालियों वाले विविध समाज की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, अब समेतिक शिक्षा पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उन वंचित बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व है जो किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित हैं। यहां ऐसे कई बच्चे हैं जिनमें विकलांगता है। परिणामस्वरूप, समेतिक शिक्षा पर अब विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है और यह विशेष रूप से विकलांग और विशेष रूप से विकासशील छात्रों दोनों के लिए फायदेमंद है। उनकी शिक्षा के बारे में केवल तथ्यात्मक जानकारी एकत्र की जानी चाहिए, उनकी स्थिति की वास्तविकता का यथार्थवादी मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उचित नीतियां बनाई जानी चाहिए, ताकि उनके और उन सभी बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। स्कूल में उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें नई दिशा दी जाए और आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए जाएं। जब हम इस बात पर जोर देते हैं कि सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो यह सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे देश और समाज दोनों में सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार हों। अब भी, इस बात को लेकर चिंताएं हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

शैक्षणिक रूप से कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। आँकड़ों के अनुसार, अधिकांश विकलांग व्यक्ति स्कूल नहीं जाते हैं। समाज के इस वर्ग की उपस्थिति को समाज के सभी घटकों द्वारा वह सम्मान दिया जाना चाहिए जिसका वह हकदार है। उनके शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए और केवल समेतिक शिक्षा ही इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. एजुकेशन फॉर ऑल: टूवर्ड्स क्वालिटी विथ इक्विटी (2016). एम.एच.आर.डी. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. (<http://www.nuepa.org>)
2. एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स (2016). एम.एच.आर.डी. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लाइटरेसी. न्यू दिल्ली.
3. एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया (2015-16). ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन बेस्ड ऑन यू-डाइस डाटा. न्यू दिल्ली: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. (<http://www.nuepa.org>)
4. आहूजा, आर (2015). सामाजिक समस्याएँ. (द्वितीय संस्करण). जयपुर: रावत पब्लिकेशन.
5. अल्फ्रेडो, जे. आर्टिल्स (2006). लर्निंग इन इन्क्लूसिव एजुकेशन रिसर्च: री-मीडिएटिंग थ्योरी एंड मेथड्स विथ ए ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा. वॉल्यूम (30). अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन.
6. आइन्स्कोव, मेल., टोनी बुथ एवं डायसन, एलन (2003). अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग इन्क्लूसिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल. मैनचेस्टर: टीचिंग एंड लर्निंग रिसर्च प्रोग्राम.
7. कृष्णाकांत, एस. (2001). इक्कीसवीं सदी की ओर. (प्रथम संस्करण). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
8. गौतम, कृपा (2010). भारतीय स्त्री: लिंग अनुपात एवं सशक्तीकरण. दिल्ली: मिश्रा पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर.
9. जोशी, प्रमोद (मार्च 2017). कुरुक्षेत्र: समेतिक शिक्षा की दिशा में प्रयास.
10. ठाकुर, यतींद्र (2016-17). समेतिक शिक्षा. मेरठ: अग्रवाल पब्लिकेशन.
11. डिसेबल पर्सन इन इंडिया: ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल (2016). मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. जी.ओ.वी. (<http://www.mospi.gov.in>).
12. दोनोंह्यू, डोना एंड बोमन जुआन (2014). दी चैलेंजेज ऑफ रीयलाइजिंग इन्क्लूसिव एजुकेशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ एजुकेशन. 34(2). (<http://www.sajournalofeducation.co.za>).
13. नारंग, एम. के. एवं अग्रवाल, जे. सी (2016-17). समेतिक शिक्षा. मेरठ: अग्रवाल पब्लिकेशन.

14. निरुपमा (2010). नारी: शिक्षा साधन और स्वास्थ्य. नई दिल्ली: अनुपम प्रकाशन.
15. पावड़े, सतीश एवं कुमार, विरेन्द्र (2017) स्त्री: छवि और यथार्थ: वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति समस्याएँ और सुझाव. अमरावती: पायगुण प्रकाशन.
16. भार्गव, राजश्री (2016). समेतिक शिक्षा. आगरा: राजश्री प्रकाशन.
17. मेइजर, सी. जे. डब्ल्यू (2001). इंकलूसिव एजुकेशन एंड इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस. यूरोपियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन. (Web: <http://www.european-agency.org>).
18. मिल्स, सूसी एंड सिंगल निधि (2008). द एजुकेशन फॉर ऑल एंड इंकलूसिव एजुकेशन डिबेट: कानफिल्ट कण्ट्राडीक्सन ऑफ आपर्च्युनिटी? मैनेचेस्टर: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंकलूसिव एजुकेशन.
19. लाल, रमन बिहारी (2016.17). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत. मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन.
20. लाल, रमन बिहारी (2014). भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ. मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन.
21. लियोनार्ड चेसायर डिसेबिलिटी (ऑर्गनाइजेशन यू.के. 2013). इंकलूसिव एजुकेशन: एन इंटीडक्शन.
22. वार्षिक रिपोर्ट (2015-16). स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. उच्चतर शिक्षा विभाग. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार. (<http://mhrd.gov.in/hi/iedss-hindi>)
23. शर्मा, सुषमा (2004). शिक्षक-प्रशिक्षण लेखमाला: एकीकृत एवं समेतिक शिक्षा के प्रसार के उपाय. दिल्ली: ऑल इंडिया कन्फेडरेशन आफ दी ब्लाईंड.
24. सक्सेना, एन.आर. स्वरूप (2013). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत. मेरठ: आर लाल बुक डिपो.
25. सिंह, निशांत (2009). भारतीय महिलाएँ एक सामाजिक अध्ययन. (प्रथम संस्करण). दिल्ली: ओमेगा पब्लिकेशन्स.
26. सिंह, एम. एन. (2009). महिला सशक्तीकरण का सच. नई दिल्ली: ओमेगा पब्लिकेशन्स.
27. संजीव, कुमार (2008). विशिष्ट शिक्षा (प्रथम संस्करण). नई दिल्ली: जानकी प्रकाशन.